# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अक्टूबर, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 26-27 अक्तूबर, 2017 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, उत्तराखण्ड का दौरा किया और 92वें आधारिक पाठ्यक्रम के 360 से अधिक प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। प्रशासन, शासन, प्रौद्योगिकी एवं नीति-निर्माण जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वार्तालाप के दौरान मंत्रिमंडल सचिव श्री पी. के. सिन्हा एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) की निदेशक श्रीमती उपमा चौधरी उपस्थित थीं।

2. इस विभाग के दिनांक 30.10.2017 के आदेश सं. 39019/09/2017-स्था.(ख) द्वारा श्रीमती स्मिता नागराज, भा.प्र.से.(टीएन:84), महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय की संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के रूप में नियुक्ति के संबंध में माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से अवगत कराया था।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 11 अक्तूबर, 2017 के का.ज्ञा.सं. 16/4/2016-जेसीए-2 के माध्यम से सशस्त्र बल झण्डा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में न्यूनतम 200/-रुपये दान करने हेतु भूतपूर्व-सैनिक कल्याण विभाग की अपील पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है।

4. सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति निर्धारित सामान्य दरों की दोगुनी दरों पर देय होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27012/02/2017-स्था.(भत्ता) के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम वार्षिक सीमा अब 54,000/-रुपये है।

5. लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/प्रबंध निदेशक(एमडी) के एक (1) पद एवं निदेशक के सात (7) पदों हेतु उम्मीदवारों की संस्तुति की गयी है।

6. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इसमें 03 सीएसएस-सीटीपी (एल-ई, एल-डी एवं एल-बी) तथा 01 सीएसएसएस-सीटीपी (एल-IV) कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 450 थी।

7. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 'क' और 'ख' सूची के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (सीपीएसई) में 13 मामलों में नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा, एसीसी

ने विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की पांच (05) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों में मुख्य कार्यकारियों की आठ (08) नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के छह (06) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, समय-विस्तार के पांच (05) प्रस्तावों, कार्यकाल कम करने के दो (02) प्रस्तावों अनुमोदन कर दिया है तथा मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति (पार्श्विक स्थानांतरण) के दो (02) प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

8. दिनांक 06.10.2017 के का.ज्ञा. सं. 41034/05/2014-स्था. (आरक्षण) खण्ड-IV-भाग द्वारा 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों, बीमा संस्थाओं में सरकारी पदों हेतु क्रीमीलेयर मानदण्ड लागू करने हेतु पदों की समतुल्यता स्थापित करने' के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।